

27.06.2024:-पत्रावली पेशी हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपना वाद पत्र श्रीमान न्यायालय की अनुमति से प्रत्याहरण कर न्या वाद पत्र प्रस्तुत करने की इजाजत याचित अनुतोष चाहता है। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौजूदा सूरत में विद्वा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

